मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

15946/22/D-9/RGM/2007 भोपाल, दिनांक 15/10/2007

जिला कार्यक्रम समन्वयक,
एवं कलेक्टर
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश

कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
जिला – श्योपुर, छतरपुर, मंडला, शहडोल, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल, खरगोन, सिवनी, डिण्डोरी, टीकमगढ़, खण्डवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, सतना, सीधी, उमरिया, गुना अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा, छिन्दवाड़ा, देवास, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, राजगढ़ एवं कटनी (म.प्र.)

विषय :- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश, के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में वाटरकोर्स, फील्ड चैनल एवं उससे संबंधित संरचनाओं के निर्माण कार्यो के लिये "सहस्त्र धारा" उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

पृष्ठभूमि :

वर्तमान में सिंचाई परियोजनाओं में नहरों का निर्माण केवल एक क्यूसेक क्षमता वाले आउटलेट तक ही सीमित है। इसके उपरान्त खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जाती है। सामान्यतः एक आउटलेट द्वारा 40 हेक्टेयर का क्षेत्र सिंचित किया जाता है। जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों यथा कृषि, पंचायत एवं वन विभाग आदि के माध्यम से निर्मित परियोजनाओं द्वारा भी सिंचाई की जाती है।

चूंकि यह व्यवस्था किसान द्वारा उसकी आर्थिक स्थिति तथा सुविधा के अनुसार, जल उपयोग की दक्षता पर कोई ध्यान दिये बिना, की जाती है, इस कारण पानी का अपव्यय अधिक होता है। इसके फलस्वरूप रूपांकित सिंचाई क्षमता के विरूद्ध वास्तविक सिंचाई काफी कम होती है। बचाये हुए पानी का उपयोग रूपांकित क्षेत्र को सिंचित करने हेतु किया जा सकता है। जल के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु समस्त सिचाई परियोजनाओं में वाटरकोर्स तथा फील्ड चैनल का निर्माण आवश्यक है जिससे पानी के अनावश्यक अपव्यय को रोकते हुए नहर का पानी आउटलेट से किसान के खेत तक प्राथमिकता के आधार पर निर्बाध रूप से पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

...नहर प्रणाली में कोलावा के बाद वाटरकोर्स तथा फील्ड चेनल के निर्माण हेतु ... राशि उपलब्ध की जाना सम्भव नहीं होता है अतः इस राशि की व्यवस्था राष्ट्रीय ...जगार गारन्टी योजना – म.प्र. में निहित प्रावधानों के अनुसार, "सहस्त्र धारा" उपयोजना ... प्रस्तावित है।

...प्रदेश में 31 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश क्रियान्वित ... रही है, जिसमें प्रदेश के समस्त ज़िले भविष्य में सम्मिलित किये जायेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण ...गार गारंटी अधिनियम के अनुसूची – 1 के बिन्दु कमांक – 1 (iii), 1 (vi), तथा 1 (vii), में ...नुसार प्रावधानित है :

... सिंचाई नहरें जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं ;

... भूमि विकास ;

... बाढ़ नियंत्रण संरक्षण संकर्म, जिनके अंतर्गत जलरूद्ध क्षेत्रों में जल निकास भी है;

...श्य :

इस परिपत्र में प्रदेश की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की रूपांकित क्षमता के पूर्ण ...योग हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना– म.प्र. में उपलब्ध धनराशि के माध्यम से ... खेत तक पानी पहुँचाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

2 **कमान क्षेत्र के हिताधिकारी :**

i) ऐसी परियोजनाओं में जो नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत है, में कमान क्षेत्र के समस्त जल उपभोक्ता जो कि जल उपभोक्ता संथा के सदस्य है एवं नहर प्रणाली से सिंचाई हेतु पानी लेते हैं।

ii) उपरोक्त के अलावा कृषि, वन एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित जल संरचनाओं के कमान क्षेत्रों में सिंचाई के लिये पानी लेने हेतु गठित जल उपभोक्ता समूह के सदस्य जिनमें वे हिताधिकारी सम्मिलित होंगे जो विषयाधीन जल संरचनाओं से सिंचाई हेतु पानी लेकर लाभान्वित होते हों।

कार्यक्षेत्र :

"सहस्त्र धारा" उपयोजना का कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के सभी जिले होंगे। इस उपयोजना के अंतर्गत प्रदेश की नर्मदा घाटी विकास विभाग की सिंचाई परियोजनाओं के साथ ही कृषि, वन एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित जल संरचनाओं के कमान क्षेत्र में कोलाबा से खेत तक की नहर प्रणाली निर्मित की जावेगी।

4. **कियान्दयन एजेन्सियां :**

इस कार्य हेतु नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिये कियान्वयन एजेन्सी "म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999" के अंतर्गत गठित संबंधित जल उपभोक्ता संथा तथा अन्य जल संरचनाओं हेतु यह ऐजेन्सी संबंधित ग्राम पंचायत होगी। इन कार्यों के ग्राम पंचायतवार प्राक्कलन संबंधित कियान्वयन एजेन्सी द्वारा बनाये जावेगें।

5. **संकर्म (कार्य) के चयन की प्रकिया :**

"सहस्त्र धारा" उपयोजना के अन्तर्गत कियान्वयन एजेन्सी द्वारा संबंधित उपयंत्री सहित वाक थ्रू (प्रस्तावित नहर अलाईनमेन्ट के किनारे पैदल चलना) कर निम्नानुसार संकर्मो का चयन किया जावे :–

- iv. सिंचाई नहरें (माइको एवं लघु सिंचाई कार्य सहित)
- ii. बरहा एवं उस पर आवश्यक पक्की संरचनाओं का निर्माण
- iv. खेत नालियों का निर्माण
- iv. जल निकास नालियों एवं उस पर आवश्यक पक्की संरचनाओं का निर्माण

6. **संकर्मो (कार्यो) की उपयुक्तता हेतु सर्वेक्षण की तकनीकी प्रक्रिया :**

i) **नियोजन** : सर्वप्रथम जिस आउटलेट के वाटरकोर्स व फील्ड चैनल का निर्माण कार्य किया जाना हो उससे संबंधी निम्न दस्तावेज संकलित करें :

- **खसरा नक्शे में कमान क्षेत्र का अंकन करें।**
- **नक्शे में आउटलेट की स्थिति को चिन्हित करें।**
- **खतौनी विवरण।**

ii) **कमान क्षेत्र के नक्शे पर माइनर नहर, चक तथा सब चक का अंकन किया जाना**

iii) कमान क्षेत्र के नक्शे पर रिज लाईन का अंकन (जो सामान्यतः खेत की मेढ़ पर होगी)

iv) नहर के कोलावा पाईन्ट से निकलने वाली रिज (मेढ़) को स्थल पर (फील्ड पर) ले आउट लगाना

v) खेत पर जल प्रदाय बिन्दु का चिन्हांकन :

vi) ले आउट लगाने के पश्चात् कास सेक्शन एवं एल सेक्शन का सर्वेक्षण एवं एल सेक्शन पर आवश्यकतानुसार सीडी, वी आर बी आदि कार्यो को चिन्हित करना तथा ऐसे स्थलों पर अतिरिक्त कास सेक्शन लेना।

vii) उपरोक्त (i) से (vi) तक की प्रकियानुसार सर्वेक्षण पश्चात ड्राईग शीट पर प्लाटिंग करना

viii) नर्मदा घाटी विकास विभाग के रूपांकन हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित तकनीकी परिपत्र क–16 दि 12.12.1988 एवं क–26 दि. 28.05.1990 (अनुलग्नक अ एवं ब) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नहर, वाटर कोर्स, फील्ड चैनल के कास सेक्शन तथा एल सेक्शन का रूपांकन करना। कृषि विभाग के कार्यो के संबंध में कृषि विभाग के परिपत्रों एवं पंचायत विभाग के कार्यों के संबंध में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के परिपत्रों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नहर, वाटरकोर्स एवं फील्ड चैनल के कास सेक्शन तथा एल सेक्शन का रूपांकन किया जावे। रूपांकन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि संबंधित जल विशिष्टियों में कोई परिवर्तन न हो।

ix) संभावित पक्की संरचना का रूपांकन करना

x) प्राक्कलन तैयार किया जाना,

जल उपभोक्ता संथा के अधीन कार्यक्षेत्र में नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रचलित नियमों के अनुसार प्राक्कलन तैयार किये जावें जबकि कृषि विभाग के कार्यों हेतु कृषि विभाग के नियमों/मानदण्डों के अनुसार तथा पंचायत कार्यों हेतु मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार प्राक्कलन तैयार किये जावे।

प्राक्कलन सामान्यतः ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सी एस आर के अनुसार इकाई लागत पर आधारित होगा । किन्तु कोई आईटम ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सी एस

आर में प्रावधानित न होने की स्थिति में ऐसे आईटम नर्मदा घाटी विकास विभाग के सी एस आर पर आधारित होंगे। स्थानीय स्तर पर निर्माण स्थल की विशिष्टताओं व तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही चयनित कार्य की इकाई लागत का निर्धारण किया जाये।

7. **तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की प्रकिया**

"सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत प्रस्तावित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नानुसार प्रक्रियाधीन होगी :–

7 i. तकनीकी स्वीकृति :

कंडिका 6 (x) में वर्णित प्रकिया का पालन करते हुए तैयार किये गये प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जावे।

7 ii. प्रशासकीय स्वीकृति की प्रकिया :

सभी कियान्वयन एजेन्सियों को राष्टीय ग्रामीण गारंटी योजना के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। जहॉ जल उपभोक्ता संथा कियान्वयन एजेन्सी है, वहॉ उसके अधीन कार्यक्षेत्र में प्राक्कलित राशि का प्रशासकीय अनुमोदन, संबंधित संथा की प्रबंध समिति से लेने के उपरान्त पंचायती राज संस्थाओं से भी प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

(अ) कार्यों का शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जाना

"सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत प्रस्तवित कार्यों का संबंधित उपयंत्री द्वारा तैयार किया गया पारियोजना प्रतिदेदन ग्राम पंचायत को प्रेषित किया जावेगा। ग्राम पंचायत अपनी बैठक आयोजित कर उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करेगी। तत्पश्चात प्रस्तावित कार्यों का ग्राम पंचायतवार अनुमोदन जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत से कराया जावेगा। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत का अनुमोदन अनिवार्य होगा। त्रिस्तरीय पंचायत से अनुमोदन के उपरांत वाटरकोर्स व फील्ड चैनल के निर्माण कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायत के शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा।

(6)

(ब) प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया जाना :

पंचायती राज संस्था द्वारा कियान्वयन एजेन्सी द्वारा "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत शामिल कार्यों की एकजाई प्रशासकीय स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना– मध्यप्रदेश के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप जारी की जायेगी।

"सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत स्वीकृत कार्यों के संपादन हेतु राशि उपलब्ध कराना :

ग्राम पंचायत संबंधित प्रस्ताव की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर संबंधित कियान्वयन एजेन्सी को संकर्म संपादित करने हेतु उनके खाते में तीन किश्तों में (40:40:20 के अनुपात में) राशि हस्तांतरित करेगी।

9. निर्माण कार्य का प्रारंभ किया जाना :

9.1 "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत चयनित कार्यों के कियान्वयन का प्राथमिकता कम संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित करेगी। तथा तत्संबंध में हितग्राहियों के नाम व इनके कार्य का नाम अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगी।

9.2 कंडिका 7.1 में प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं कंडिका 7.4 में प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार कार्यो का ले आउट संबंधित उपयंत्री द्वारा दिया जावे।

9.3 "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत प्रस्तावित और उपरोक्तानुसार अनुमोदित व प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यों का क्रियान्वयन संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा कार्य हेतु चयनित निर्माण स्थल पर किया जायेगा। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के अन्तर्गत "सहस्त्र धारा" उपयोजना एक श्रमोन्मुखी योजना है, अतः कार्यो के कियान्वयन में मशीन का प्रयोग कदापि न किया जावे।

9.4 कार्यों की प्रगति के अनुपात में संबंधित कियान्वयन एजेन्सी द्वारा बैंक से भुगतान हेतु राशि निकालकर भुगतान किया जावेगा।

10. **क्रियान्वयन व गुणवत्ता :–**

10.1 क्रियान्वयन एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत कार्य का क्रियान्वयन निर्धारित डिजाईन तथा मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जाये और तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण हो। कार्य की गुणवत्ता के संदर्भ में किसी भी स्थिति में कोई समझौता न किया जाये। अधूरे कार्य को किसी भी स्थिति में पूर्ण मानकर समाप्त न क़िया जाये।

[illegible] के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे। हितग्राही कृषक भी उसके लिए क्रियान्वित किये जा रहे कार्य की निगरानी कर सकेगा।

10.3 "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत कार्य के पूर्ण होने पर हितग्राही समूह से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिस पर सरपंच तथा संबंधित उपयंत्री कार्य की पूर्णता प्रमाणित कर हस्ताक्षर करेंगे। तदोपरांत यह पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अपने रिकार्ड में संधारित करेगी। कार्य के निर्माण स्थल पर भूमि स्वामी हितग्राही/उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के नाम, कार्य की लागत व आकार अंकित करते हुए एक बोर्ड भी लगाया जायेगा जिस पर कार्य का नाम, कार्य पर व्यय राशि तथा कार्य की पूर्णता दिनांक पेंट से अंकित करेगी।

10.4 "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत संपादित कार्य का विवरण पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में भी अनिवार्यतः दर्ज किया जाये।

10.5 विभाग के आदेश क्र.3665/22/वि–7/ग्रा.यां.से./06 दिनांक 22.6.2006 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत किये जाने वाले निर्माण कार्यों का Exit Protocol तैयार किये जाने बाबत् दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप इस परिपत्र के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यों का Exit Protocol अनिवार्यतः संधारित किया जाये।

11. निर्मित संरचनाओं के रख रखाव का दायित्व तथा इनसे पानी का वितरण

11.1 "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत निर्मित संरचनाओं के रख रखाव का दायित्व संबंधित संस्था अथवा उपयोगकर्ता दल के सदस्यों का होगा। अतः इस संबंध में क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा संस्थाओं अथवा उपयोगकर्ता दलों को स्पष्ट समझाईश कार्य प्रारंभ होने के पूर्व ही दे दी जानी चाहिये।

11.2 "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत उक्त प्रकार से विकसित अधोसंरचना से पानी के समानता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित वाराबन्दी की प्रक्रिया के अनुसार वितरण सुनिश्चित होना चाहिये। इस हेतु वाराबंदी की प्रक्रिया कार्य प्रारंभ होने के पूर्व तय कर संस्था या उपयोगकर्ता समूह द्वारा लिपिबद्ध कर ली जानी चाहिये, ताकि

...यन के पश्चात विवाद की स्थिति निर्मित होने की संभावनाओं को निरस्त ... जा सके।

...हर संचालन के पूर्व जल उपभोक्ता संथा की साधारण सभा में जल की उपलब्धता ... आधार पर फसल चयन कर जल बजट बनाकर वाराबंदी प्रणाली पर आधारित ... का वितरण किया जावे। जल के समानुपाती वितरण को सुनिश्चित करने के लिए यह एक अनिवार्य प्रकिया है जिसका पालन कड़ाई से किया जाए ।

मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग :–

...ख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों में राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना -- म प्र के अन्तर्गत "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत वाटरकोर्स, फील्ड चैनल एवं उसकी संरचनाओं के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्ध क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा भी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म.प्र. के अन्तर्गत "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत वाटरकोर्स, फील्ड चैनल एवं उसकी संरचनाओं के कम से कम 20 कार्यों के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जायेगी।

क्वालिटी मॉनिटर द्वारा राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म प्र के अन्तर्गत "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत वाटरकोर्स, फील्ड चैनल एवं उसकी संरचनाओं के ... प्रतिशत कार्यों की मॉनिटरिंग की जायेगी।

... राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म प्र के अन्तर्गत "सहस्त्र धारा" उपयोजना ... वाटरकोर्स, फील्ड चैनल एवं उसकी संरचनाओं के क्रियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही ... का कष्ट करें।

... : उपरोक्तानुसार।

12/10/07

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्त
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग